



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2015/चैत्र 10, 1937

No.187]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2015/CHAITRA 10, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2015

**सा.का.नि. 238(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बेतार आयोजना और समन्वय तथा अनुश्रवण संगठन (बेतार सलाहकार) भर्ती नियम, 2003, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, बेतार आयोजना और समन्वय तथा अनुश्रवण संगठन [संयुक्त बेतार सलाहकार या निदेशक (बेतार अनुश्रवण)] भर्ती नियम, 2003, बेतार आयोजना और समन्वय तथा अनुश्रवण संगठन (तकनीकी अधिकारी और कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 1960, बेतार आयोजना और समन्वय तथा अनुश्रवण संगठन (सहायक बेतार सलाहकार/प्रभारी इंजीनियर) भर्ती नियम, 2003, बेतार आयोजना और समन्वय तथा अनुश्रवण संगठन (इंजीनियर) भर्ती नियम, 2002, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय रेडियो विनियामक सेवा, संगठित तकनीकी समूह 'क' केंद्रीय सेवा की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेडियो विनियामक (समूह 'क') सेवा नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-**

(क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(ग) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से इन नियमों की अनुसूची 4 के अनुसार गठित किसी श्रेणी में अधिकारियों की प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समिति अभिप्रेत है ;

(घ) "विभागीय पुष्टि समिति" से इन नियमों की अनुसूची 4 के अनुसार गठित कनिष्ठ समय वेतनमान श्रेणी में अधिकारियों की पुष्टि पर विचार करने के लिए समिति अभिप्रेत है ;

- (ड.) "कर्तव्य पद" या "पद" से इन नियमों की अनुसूची 1 में वर्णित किसी श्रेणी में कोई पद, चाहे स्थायी हो या अस्थायी, अभिप्रेत है ;
- (च) "परीक्षा" से इस सेवा में के पदों की भर्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित प्रतियोगी इंजीनियरी सेवा परीक्षा अभिप्रेत है ;
- (छ) "सरकार" से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है ;
- (ज) "श्रेणी" से सेवा की कोई श्रेणी अभिप्रेत है ;
- (झ) किसी श्रेणी के संबंध में "**नियमित सेवा**" से उस श्रेणी में इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात् की गई सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत हैं और उसके अंतर्गत निम्नलिखित कोई अवधि या अवधियां भी हैं:-
- (1) सेवा के आरम्भिक गठन पर नियुक्ति किए गए व्यक्तियों की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली गई अवधि या अवधियां ;
  - (2) ऐसी अवधि या अवधियां, जिसके या जिनके दौरान कोई अधिकारी उस श्रेणी में कर्तव्य पद धारण करता किंतु उसके छुट्टी पर होने के कारण या अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं था ;
- (ञ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ट) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" का वही अर्थ होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और खंड (25) में उनका है और "अन्य पिछड़े वर्गों" का वही अर्थ और लागू होना होगा, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93/स्था.(एससीटी), तारीख 8 सितंबर, 1993 में यथा अधिकथित अर्थ और लागू होना है ;
- (ठ) "सेवा" से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, (i) में संख्यांक सा.का.नि. 493(अ), तारीख 19 जुलाई, 2013 को प्रकाशित भारत सरकार के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की अधिसूचना द्वारा गठित भारतीय रेडियो विनियामक (समूह 'क') सेवा अभिप्रेत है और उसके वही घटक होंगे जो नियम 3 के अधीन हैं ।

**3. सेवा के घटक और पदों का वर्गीकरण-** (1) अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट सभी कर्तव्य पद भारतीय रेडियो विनियामक (समूह 'क') सेवा के घटक होंगे ।

(2) सेवा में सम्मिलित सभी पद समूह-क पदों के रूप में वर्गीकृत होंगे ।

**4. श्रेणियां, प्राधिकृत संख्या और इनका पुनर्विलोकन-** (1) (क) इन नियमों प्रारंभ की तारीख को सेवा में विभिन्न श्रेणियों के कर्तव्य पद और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ;

(ख) अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट किसी विशिष्ट श्रेणी में सम्मिलित कर्तव्य पद विशिष्ट श्रेणी में एक-दूसरे के साथ अंतर-परिवर्तनीय होंगे ।

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार,-

(क) समय-समय पर ऐसी अवधि के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, विभिन्न श्रेणियों में कर्तव्य पदों की संख्या में अस्थायी वृद्धि या परिवर्तन कर सकेगी ;

(ख) आयोग के परामर्श से सेवा में ऐसे पद सृजित कर सकेगी, जो अनुसूची 1 में सम्मिलित पदों की प्रास्थिति, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान में समतुल्य समझे जाएं और उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी कर्तव्य पद को सेवा से अपवर्जित कर सकेगी ;

(ग) आयोग के परामर्श से, खंड (ख) के अधीन सेवा में सम्मिलित किसी कर्तव्य पद के किसी अधिकारी को अस्थायी हैसियत में या अधिष्ठायी हैसियत में समुचित श्रेणी में नियुक्त कर सकेगी और सदृश्य श्रेणी में सतत् नियमित सेवा को हिसाब में लेने के पश्चात् श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगी ।

**5. सेवा के सदस्य –** (1) निम्नलिखित सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) नियम 6 के अधीन कर्तव्य पदों पर नियुक्त व्यक्ति ; और

(ख) नियम 7 के अधीन कर्तव्य पदों पर नियुक्त व्यक्ति ;

(2) उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति पर सेवा के गठन की आरंभिक तारीख से अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट उसको लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जाएगा/जाएगी ।

(3) उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति की तारीख से अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट उसको लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जाएगा/जाएगी ।

**6. सेवा का आरंभिक गठन-** (1) ऐसे सभी अधिकारी, जो इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पहले, इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद के तत्स्थानी इन नियमों के आरंभिक पैरा में यथानिर्दिष्ट क्रमिक भर्ती नियमों के अधीन नियमित आधार पर किसी श्रेणी में समूह 'क' कर्तव्य पद धारण कर रहे हैं, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को उस श्रेणी में उक्त पद पर नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

(2) (क) सेवा में अधिकारियों की नियुक्ति से पहले, नियम 5 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट उनकी नियमित सतत सेवा की गणना, सेवा में परिवीक्षा की अवधि, ज्येष्ठता, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, पुष्टि और पेंशन के प्रयोजन के लिए की जाएगी ;

(ख) वेतन बैंड 3, ग्रेड वेतन 7600/-रु. में दी गई कृत्यिक सेवा को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, (i) में संख्यांक सा.का.नि. 494(अ), तारीख 19 जुलाई, 2013 को प्रकाशित भारत सरकार के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की अधिसूचना द्वारा इस श्रेणी को अकृत्यिक किए जाने से पहले प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा की गणना करने के लिए विचार में लिया जाएगा।

(3) उस सीमा तक, जहां तक केंद्रीय सरकार इस नियम के उपबंधों के अनुसार सेवा की विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत नियमित संख्या को भरने में समर्थ नहीं होती है, उन्हें नियम 7 और नियम 8 के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा।

**7. सेवा को भविष्य में बनाए रखना-** (1) नियम 6 के अधीन सेवा के आरंभिक गठन के पश्चात् आरंभिक गठन पर न भरी गई कोई शेष रिक्ति और अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी श्रेणी में आरंभिक गठन के पश्चात् उद्भूत होने वाली रिक्ति, इस नियम में इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से भरी जाएगी, अर्थात् :-

(क) कनिष्ठ समय वेतनमान की श्रेणी में रिक्तियों का पचास प्रतिशत, आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के माध्यम से, अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताओं और आयु सीमा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा ; और

(ख) कनिष्ठ समय वेतनमान में रिक्तियों का शेष पचास प्रतिशत, अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट रीति में समूह 'ख' अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

(2) अनुसूची 1 में क्र.सं. 1 से 5 में विनिर्दिष्ट श्रेणियों में नियुक्ति, अगली निम्नतर श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा रखने वाले अधिकारियों में से और अनुसूची 3 में यथाविनिर्दिष्ट रीति में प्रोन्नति द्वारा की जाएगी।

(3) (क) इंजीनियर (कनिष्ठ समय वेतनमान) पर प्रोन्नति आयोग के परामर्श से की जाएगी ;

(ख) ज्येष्ठ समय वेतनमान और ज्येष्ठ समय वेतनमान (अकृत्यिक चयन श्रेणी) पर प्रोन्नति, योग्यता के अध्यधीन ज्येष्ठता के क्रम में की जाएगी।

(4) सेवा की विभिन्न श्रेणियों पर प्रोन्नति के लिए अधिकारी का चयन, उप बेतार सलाहकार या उप निदेशक [ज्येष्ठ समय वेतनमान (अकृत्यिक चयन श्रेणी)] के पद पर सहायक बेतार सलाहकार या प्रभारी इंजीनियर की नियुक्ति के मामलों के सिवाय, जो अचयन पद्धति द्वारा की जाएगी, अनुसूची 4 में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर चयन पद्धति द्वारा किया जाएगा।

(5) (क) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(ख) प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(ग) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, तारीख 1 जनवरी, 2006, वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का विलयन एक ग्रेड में सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान में किया गया है और जहां इस फायदे का विस्तार केवल ऐसे पद (पदों) के लिए किया जाएगा जो बिना किसी उन्नयन के ग्रेड वेतन या वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(6) **अकृत्यिक उन्नयन-** (क) जब कभी राज्य या संयुक्त काडर का भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी केंद्र में वेतन बैंड 3 या वेतन बैंड 4 में किसी विनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन या उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी वाली किसी विशिष्ट श्रेणी में पद स्थापित किया जाता है, तो सेवा के उन बैंचों से संबंधित अधिकारी, जो दो वर्ष या उससे अधिक ज्येष्ठ हैं और अभी तक उस विशेष श्रेणी में पदोन्नत नहीं किए गए हैं, को केंद्र में उस विशिष्ट श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पद स्थापन की तारीख से अकृत्यिक आधार पर वही श्रेणी प्रदान की जाएगी ;

(ख) प्रवेश श्रेणी में सीधी भर्ती अधिकारियों के संबंध में खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट बैच उस वर्ष का पश्चातवर्ती वर्ष होगा जिसमें प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी और पश्चातवर्ती श्रेणियों में 'बैच' और समूह 'क' में पात्र सेवा वही रहेगी परंतु यह तब जब अधिकारी को किसी कारण से अतिष्ठित नहीं किया गया है। उस दशा में, जब अधिकारी को अतिष्ठित कर दिया जाता है तो अधिकारी को उस बैच के साथ विचार में लिया जाएगा, जिसके साथ उसकी ज्येष्ठता नियत की गई है ;

(ग) समूह 'ख' पद से प्रोन्नति द्वारा सेवा में प्रविष्ट अधिकारी भी अकृत्यिक उन्नयन के फायदे के लिए पात्र होंगे। उन्हें 'सीधी भर्ती' अधिकारियों के बैच के तत्स्थानी उस बैच का फायदा दिया जाएगा, जिसके साथ उनकी ज्येष्ठता मिला दी गई है ;

(घ) खंड (क) में निर्दिष्ट अकृत्यिक उन्नयन-

(i) समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा ;

(ii) अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट छानबीन समिति की सिफारिशों पर प्रदान किया जाएगा।

**8. प्रतिनियुक्ति द्वारा कर्तव्य पदों का भरा जाना –** नियम 7 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आयोग के परामर्श से लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से तीन वर्ष के अनधिक अवधि के लिए किसी श्रेणी में कर्तव्य पद को प्रतिनियुक्ति द्वारा भर सकेगी, जिसे ऐसी विशेष परिस्थितियों में, जो केंद्रीय सरकार उचित समझे, पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। इस नियम के अधीन सेवा की किसी श्रेणी में नियुक्ति के लिए अर्हताएं, अनुभव और अर्हक सेवा का विनिश्चय केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक अवसर पर आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

**9. ज्येष्ठता –** (1) नियम 6 के अधीन सेवा के आरंभिक गठन के समय किसी श्रेणी में नियुक्त सेवा के सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता का विनिश्चय इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर अभिप्राप्त उनकी ज्येष्ठता के अनुसार किया जाएगा ;

परंतु यदि ऐसे किसी सदस्य की ज्येष्ठता, ऐसी तारीख को विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं की गई है तो उसका अवधारण नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा ज्येष्ठता के नियतन को शासित करने वाले ऐसे नियमों के आधार पर किया जाएगा, जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा के सदस्यों को लागू थे।

(2) किसी श्रेणी में सेवा के आरंभिक गठन में सम्मिलित सभी अधिकारी, उस श्रेणी में पश्चातवर्ती नियुक्त सभी अधिकारियों से ज्येष्ठ पंक्ति में रखे जाएंगे।

(3) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर सरकार द्वारा जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(4) पूर्ववर्ती उप नियमों में नहीं आने वाले किसी अधिकारी की ज्येष्ठता नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

**10. परिवीक्षा –** (1) सेवा में सीधे भर्ती द्वारा नियुक्त या सेवा के कनिष्ठ समय वेतनमान के पद पर प्रोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होगा :

परन्तु यह कि नियंत्रक प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार बढ़ा सकेगा या उसे कम कर सकेगा।

परन्तु यह और कि परिवीक्षा अवधि को बढ़ाने का विनिश्चय पूर्ववर्ती परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और ऐसा करने के कारणों सहित उसको लिखित में उक्त अवधि के भीतर संबंधित अधिकारी को संसूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा की अवधि या उसमें किए गए विस्तार की समाप्ति पर यदि व्यक्तियों को स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना जाए तो समय-समय पर केंद्रीय सरकार के आदेशों के निबंधनानुसार सेवा में उनकी पुष्टि कर दी जाएगी।

(3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा की अवधि या उसमें किए गए विस्तार के दौरान, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो वह अभ्यर्थी को, यथास्थिति, सेवोन्मुक्त कर सकेगी या सेवा में नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगी।

(4) परिवीक्षा की अवधि या उसमें अन्य विस्तार के दौरान, केंद्रीय सरकार किसी अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वे ऐसा प्रशिक्षण और शिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त और ऐसी परीक्षाएं या परीक्षण पास करें जो केंद्रीय सरकार परिवीक्षा के समाधानप्रद रूप से पूरा करने की शर्त के रूप में उपयुक्त समझे।

(5) परीवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में, यदि वे इन नियमों में नहीं आते हैं, तो सेवा के सदस्य इस बाबत समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों और अनुदेशों से शासित होंगे।

**11. सेवा में नियुक्ति** - सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सभी कर्तव्य पदों के लिए सेवा में सभी नियुक्तियां नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।

**12. पद स्थापन** - सेवा में नियुक्त अधिकारी, भारत में या भारत के बाहर कहीं भी सेवा करने के दायित्वाधीन होंगे।

**13. रक्षा सेवाओं या रक्षा से संबंधित किसी पद पर सेवा करने का दायित्व** - (1) सेवा में नियुक्त कोई भी अधिकारी, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए, किसी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर चार वर्ष से अन्यून अवधि के लिए सेवा करने के दायित्वाधीन होगा, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण पर व्यतीत अवधि भी, यदि कोई हो, सम्मिलित है : परंतु ऐसे अधिकारी से,-

(क) सेवा में नियुक्ति की तारीख से या सेवा में आने की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथा पूर्वोक्त सेवा के लिए अपेक्षा नहीं की जाएगी ;

(ख) साधारणतया पूर्वोक्त सेवा के लिए अपेक्षा नहीं की जाएगी, यदि अधिकारी चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है।

(2) ऐसे विषयों की बाबत, जिनके लिए इन नियमों में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं किए गए हैं, सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तें वही होंगी, जो केंद्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' अधिकारियों को समय-समय पर लागू हैं।

**14. निरर्हता:-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**15. शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

### अनुसूची 1

[नियम 2(6), नियम 3, नियम 4(1), नियम 4(2), नियम 5(2), नियम 5(3), नियम 6(1), नियम 7(1) और नियम 7(2) देखिए]

भारतीय रेडियो विनियामक समूह 'क' सेवा की विभिन्न श्रेणियों में कर्तव्य पदों का नाम, संख्या, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान

| क्र.सं. | पदाभिधान                                      | पदों की श्रेणी           | पदों की संख्या* | वेतन बैंड या ग्रेड वेतन/वेतनमान  |
|---------|---|--------------------------|-----------------|--|
| 1       | बेतार सलाहकार                                 | उच्च प्रशासनिक श्रेणी    | 1               | वेतनमान: रुपए 67,000/- 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि 79,000-/- |
| 2       | संयुक्त बेतार सलाहकार/निदेशक (बेतार अनुश्रवण) | ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी | 6               | वेतन बैंड-4 रुपए 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन रुपए 10,000-/-             |

|   |  |                                      |            |  |
|---|--|--------------------------------------|------------|--|
| 3 | ज्येष्ठ उप बेतार सलाहकार/ज्येष्ठ उप निदेशक (बेतार अनुश्रवण)        | कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी) | 13         | वेतन बैंड-4 रुपए 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन रुपए 8,700/-   |
| 4 | उप बेतार सलाहकार/ उप निदेशक (बेतार अनुश्रवण) (अकृत्यिक चयन श्रेणी) | अकृत्यिक चयन श्रेणी                  |            | वेतन बैंड-3 : रुपए 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 7,600/- |
| 5 | सहायक बेतार सलाहकार/प्रभारी इंजीनियर (बेतार अनुश्रवण)              | ज्येष्ठ समय वेतनमान                  | 42#        | वेतन बैंड-3 : रुपए 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 6,600/- |
|   | <b>ज्येष्ठ कर्तव्य पदों की संख्या</b>                              |                                      | 62         |  |
| 6 | इंजीनियर, बेतार योजना और समन्वय तथा बेतार अनुश्रवण संगठन           | कनिष्ठ समय वेतनमान                   | 72         | वेतन बैंड-3 : रुपए 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- |
|   | <b>कुल</b>   |                                      | <b>134</b> |  |

\* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता ।

# ज्येष्ठ समय वेतनमान और ज्येष्ठ समय वेतनमान (अकृत्यिक चयन श्रेणी) में 42 पदों में से ज्येष्ठ कर्तव्य पदों का अधिकतम 30 प्रतिशत (अर्थात् 18 पद) अकृत्यिक चयन श्रेणी (वेतन बैंड 3, ग्रेड वेतन 7,600/रु.) प्रवर्तित होंगे ।

## अनुसूची 2

[नियम 7(1) देखिए]

### सीधी भर्ती के लिए अर्हता और आयु

1. भारतीय रेडियो विनियामक (समूह 'क') सेवा के समूह 'क' कनिष्ठ समय वेतनमान के पदों के लिए आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित प्रतियोगी इंजीनियरी सेवा के आधार पर सीधी भर्ती के लिए-

(क) किसी अभ्यर्थी के पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और आयु निम्नलिखित होगी-

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विशेष विषय के रूप में रेडियो संचार या इलेक्ट्रानिक या दूरसंचार सहित दूरसंचार इंजीनियरी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में डिग्री ; या
- (ii) विशेष विषय के रूप में भौतिकी और रेडियो संचार या इलेक्ट्रानिक या दूरसंचार सहित विज्ञान में मास्टर डिग्री ; या
- (iii) विषय के रूप में बेतार संचार, इलेक्ट्रानिक, रेडियो भौतिकी या रेडियो इंजीनियरी सहित एम.एससी. की डिग्री या उसके समतुल्य ; या
- (iv) भारत में संसद् या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या संसद् के अधिनियम के रूप में स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में समझे जाने के लिए घोषित अन्य शैक्षणिक संस्थाओं से इंजीनियरी में डिग्री ; या
- (v) इस्टीमेट्स आफ इंजीनियर्स (इंडिया) की संस्था परीक्षाओं के सेक्शन ए और बी में उत्तीर्ण ; या

- (vi) ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था से और ऐसी शर्तों के अधीन, जो सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर मान्यताप्राप्त हों, इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करना ; या
- (vii) इलेक्ट्रानिक और दूरसंचार संस्थान (भारत) की स्नातक सदस्यता परीक्षा उत्तीर्ण ; या
- (viii) भारतीय वैमानिक सोसाइटी की सहयुक्त सदस्यता परीक्षा भाग 2 और 3 या सेक्शन ए और बी उत्तीर्ण ; या
- (ix) नवम्बर, 1969 के पश्चात् आयोजित इंस्टीट्यूशन आफ इलेक्ट्रानिक्स एंड रेडियो इंजीनियर्स, लंदन की स्नातक सदस्यता परीक्षा उत्तीर्ण ; या

**टिप्पण :** (1) अपवादित मामलों में आयोग किसी अभ्यर्थी को पूर्वोक्त किसी अर्हता के नहीं रखने पर शैक्षणिक रूप से अर्हित मान सकेगा, परंतु यह तब, जब आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उसने ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं उत्तीर्ण की है, जिसके मानक, आयोग की राय में उसके परीक्षा में प्रवेश को न्यायोचित ठहराते हैं।

(2) कोई अभ्यर्थी, जो किसी ऐसी विदेशी विश्वविद्यालय से, जो सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है, डिग्री लेने के आधार पर अन्यथा अर्हित है, आयोग में आवेदन कर सकेगा और उसे आयोग के विवेकानुसार परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा।

(3) अभ्यर्थी आयोग द्वारा यथा विज्ञापित तारीख को 21 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा किन्तु 30 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करेगा, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविनिश्चित ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट भी है।

### अनुसूची 3

[नियम 2(ज), नियम 7(1) और नियम 7(2) देखिए]

#### प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति

| क्र.सं. | पद का नाम/श्रेणी/वेतनमान   | भर्ती की पद्धति  | चयन या अचयन पद | प्रोन्नति के लिए पोषक श्रेणी और पात्रता शर्तें   |
|---------|--|------------------|----------------|--|
| 1.      | 2.   | 3.               | 4.             | 5.   |
| 1       | बेतार सलाहकार<br>(उच्च प्रशासनिक श्रेणी)<br>(रुपए 67,000 - 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि रुपए 79,000)                                      | प्रोन्नति द्वारा | चयन            | प्रोन्नति<br>ऐसे अधिकारी, जिन्होंने ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन बैंड 4, ग्रेड वेतन 10,000 रु. में उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।<br>ऐसे अधिकारी, जिन्होंने सेवा में समूह 'क' पदों पर 25 वर्ष की नियमित सेवा की है, जिसमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, वेतन बैंड 4, ग्रेड वेतन 10,000 रुपए में होनी चाहिए।                                   |
| 2       | संयुक्त बेतार सलाहकार/<br>निदेशक(बेतार अनुश्रवण)<br>(ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी)<br>(वेतन बैंड - 4, रुपए 37,400-67,000/- + ग्रेड वेतन रुपए 10,000/-) | प्रोन्नति द्वारा | चयन            | प्रोन्नति<br>ऐसे अधिकारी, जिन्होंने कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी) समतुल्य में ;(वेतन बैंड 4, ग्रेड वेतन 8,700 रु.), उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।<br>ऐसे अधिकारी, जिन्होंने सेवा में समूह 'क' पदों पर 17 वर्ष की नियमित सेवा की है, जिसमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी), वेतन बैंड 4, ग्रेड वेतन 8,700 रुपए में होनी चाहिए। |

|   |   |                  |     |   |
|---|---|------------------|-----|---|
| 3 | <p>ज्येष्ठ उप बेतार सलाहकार/ ज्येष्ठ उप निदेशक<br/>[कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी)]<br/>(वेतन बैंड - 4, रुपए 37,400-67,000/- + ग्रेड वेतन रुपए 8,700/-)</p> | प्रोन्नति द्वारा | चयन | <p><b>प्रोन्नति</b><br/>ऐसे अधिकारी, जिन्होंने सेवा में समूह 'क' पदों पर 13 वर्ष की नियमित सेवा की है, जिसमें से कम से कम 4 वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ समय वेतनमान (वेतन बैंड 3, ग्रेड वेतन 6600 रुपए) में होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत अकृत्यिक चयन श्रेणी में वेतन बैंड 3, ग्रेड वेतन 7600 में दी गई नियमित सेवा, यदि कोई हो, भी है।<br/>ऐसे अधिकारी, जिन्होंने ज्येष्ठ समय वेतनमान (वेतन बैंड 3, ग्रेड वेतन 6600) में उस श्रेणी में 9 वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके अंतर्गत अकृत्यिक चयन श्रेणी में वेतन बैंड 3, ग्रेड वेतन 7600 में दी गई नियमित सेवा, यदि कोई हो, भी है और कनिष्ठ समय वेतनमान में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो।</p>   |
| 4 | <p>उप बेतार सलाहकार/ उप निदेशक<br/><br/>ज्येष्ठ समय वेतनमान (अकृत्यिक चयन श्रेणी)<br/>(वेतन बैंड - 3, रुपए 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रुपए 7,600/-)</p>         | -                | -   | <p>ज्येष्ठ समय वेतनमान (वेतन बैंड 3, ग्रेड वेतन 6600) में के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने अयोग्यता को नामंजूर करने के अध्यक्षीन ज्येष्ठता द्वारा स्कानन आधार पर नियुक्त की जाने वाली श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो।<br/><b>टिप्पण-</b> ज्येष्ठ समय वेतनमान में के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने ज्येष्ठ समय वेतनमान श्रेणी और कनिष्ठ समय वेतनमान श्रेणी में 9 वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की हो, जिसमेंसे कम से कम 2 वर्ष की सेवा ज्येष्ठ समय वेतनमान श्रेणी में है, भी उस श्रेणी में प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे यह इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से 5 वर्ष के लिए लागू होगा</p>   |
| 5 | <p>सहायक बेतार सलाहकार/प्रभारी इंजीनियर (ज्येष्ठ समय वेतनमान)<br/>(वेतन बैंड - 3, रुपए 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रुपए 6,600/-)</p>                             | प्रोन्नति        | चयन | <p>प्रोन्नति<br/>कनिष्ठ समय वेतनमान के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में 4 वर्ष की नियमित सेवा की हो और कनिष्ठ समय वेतनमान श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों।<br/><b>टिप्पण -</b> इंजीनियर श्रेणी में सेवा के कनिष्ठ समय वेतनमान में के ऐसे अधिकारी, जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को पद धारण करते हों और सीधी भर्ती के लिए अर्हता आयु से संबंधित अनुसूची 2 में क(i) से (ix) में यथा वर्णित कोई भी शैक्षिक अर्हता, दूरसंचार इंजीनियरी में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विशेष विषय के रूप में रेडियो संचार या इलेक्ट्रानिक्स या दूरसंचार सहित दूरसंचार इंजीनियरी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में डिग्री या विशेष विषय</p> |



|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   | के रूप में भौतिकी और रेडियो संचार या इलेक्ट्रॉनिक्स या दूरसंचार सहित विज्ञान में मास्टर डिग्री रखते हों।   |
| 6 | इंजीनियर (कनिष्ठ समय वेतनमान)<br><br>(वेतन बैंड - 3, रुपए 15,600-39,100-/+ ग्रेड वेतन रुपए 5400-/-) | सीधी भर्ती द्वारा, (उस श्रेणी में 50 प्रतिशत रिक्तियां) प्रोन्नति द्वारा (उस श्रेणी में 50 प्रतिशत रिक्तियां) | सीधी भर्ती<br><br><br><br><br><br><br>चयन | आयोग द्वारा संचालित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती।<br>प्रोन्नति<br>ऐसे कनिष्ठ बेतार अधिकारी, जिन्होंने वेतन बैंड 2 और ग्रेड वेतन 4200 रु0 में उस श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा की है। |

**अनुसूची 4**

[नियम 2(ग) और नियम 7(4) देखिए]

सेवा में समूह 'क' पदों में प्रोन्नति और उनकी पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना

| क्र.सं. | श्रेणी का नाम  | श्रेणी में प्रोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति  | विभागीय पुष्टि समिति   |
|---------|--|--|--|
| (1)     | (2)  | (3)  | (4)  |
| 1       | बेतार सलाहकार, भारत सरकार (उच्च प्रशासनिक श्रेणी)                                    | 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष<br>2. सचिव, दूरसंचार विभाग - सदस्य<br>3. सदस्य (प्रौद्योगिकी) दूरसंचार- सदस्य                     | लागू नहीं होता   |
| 2       | संयुक्त बेतार सलाहकार या निदेशक (बेतार अनुश्रवण) (ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी)          | 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष<br>2. सदस्य (प्रौद्योगिकी) दूरसंचार या अपर सचिव, दूरसंचार विभाग- सदस्य<br>3. बेतार सलाहकार- सदस्य | लागू नहीं होता   |
| 3       | ज्येष्ठ उप बेतार सलाहकार या ज्येष्ठ उप निदेशक [कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी)] | 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष<br>2. सदस्य (प्रौद्योगिकी) दूरसंचार या अपर सचिव, दूरसंचार विभाग- सदस्य<br>3. बेतार सलाहकार- सदस्य | लागू नहीं होता   |
| 4       | उप बेतार सलाहकार या उप निदेशक (अकृत्यिक दूसरी श्रेणी)                                | 1. सचिव, दूरसंचार विभाग - अध्यक्ष<br>2. अपर सचिव, दूरसंचार विभाग- सदस्य<br>3. बेतार सलाहकार- सदस्य   | लागू नहीं होता   |
| 5       | सहायक बेतार सलाहकार/प्रभारी इंजीनियर (ज्येष्ठ समय वेतनमान)                           | 1. सचिव, दूरसंचार विभाग - अध्यक्ष<br>2. अपर सचिव, दूरसंचार विभाग- सदस्य<br>3. बेतार सलाहकार- सदस्य   | लागू नहीं होता   |
| 6       | इंजीनियर (कनिष्ठ समय वेतनमान)  | 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष<br>2. अपर सचिव, दूरसंचार विभाग- सदस्य<br>3. बेतार सलाहकार- सदस्य                                  | 1. अपर सचिव, दूरसंचार विभाग- अध्यक्ष<br>2. बेतार सलाहकार- सदस्य<br>3. संयुक्त बेतार सलाहकार/निदेशक (बेतार अनुश्रवण)- सदस्य |

**अनुसूची 5**

[नियम 7(6)(घ)(ii) देखिए]

**सेवा में अकृत्यिक उन्नयन के मामलों पर विचार करने के लिए छानबीन समिति की संरचना**

| क्र.सं. | श्रेणी का नाम   | श्रेणियों के अकृत्यिक उन्नयन पर विचार करने के लिए विभागीय छानबीन समिति  |
|---------|---|---|
| (1)     | (2)   | (3)   |
| 1       | उच्च प्रशासनिक श्रेणी (67000-79000)   | 1. सचिव, दूरसंचार विभाग- अध्यक्ष<br>2. सदस्य (प्रौद्योगिकी), दूरसंचार आयोग- सदस्य<br>3. सदस्य (सेवा), दूरसंचार आयोग- सदस्य                |
| 2       | ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी<br>(वेतनबैंड 4, ग्रेड वेतन 10,000/-)<br>कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी)<br>(वेतनबैंड 4, ग्रेड वेतन 8700/-)<br>अकृत्यिक चयन श्रेणी<br>(वेतनबैंड 3, ग्रेड वेतन 7600/-)<br>ज्येष्ठ समय वेतनमान (वेतनबैंड 3, ग्रेड वेतन 6600/-) | 1. सचिव, दूरसंचार विभाग- अध्यक्ष<br>2. सदस्य (प्रौद्योगिकी), दूरसंचार आयोग या अपर सचिव, दूरसंचार विभाग - सदस्य<br>3. बेतार सलाहकार -सदस्य |

[सं. ए-12018/1/2013-प्रशा.॥ सं. लो.से.आ. संदर्भ सं. 3/21(ए)/2014-आर.आर. दिनांक 3 मार्च, 2015]

शशिरंजन कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY****(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2015

**G.S.R. 238(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Wireless Planning and Co-ordination and Monitoring Organisation (Wireless Adviser) Recruitment Rules, 2003; the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Telecommunications, Wireless Planning and Co-ordination and Monitoring Organisation [Joint Wireless Adviser or Director (Wireless Monitoring)] Recruitment Rules, 2003; the Wireless Planning and Co-ordination and Monitoring Organisation (Technical officers and staff) Recruitment Rules, 1960; the Wireless Planning and Co-ordination and Monitoring Organisation (Assistant Wireless Adviser/ Engineer-in-Charge) Recruitment Rules, 2003 and the Wireless Planning and Co-ordination and Monitoring Organisation (Engineer) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Indian Radio Regulatory Service, an organised technical Group 'A' Central Service, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Indian Radio Regulatory (Group 'A') Service Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "Commission" means the Union Public Service Commission;
  - (b) "Controlling Authority" means the Central Government through the Ministry of Communications and Information Technology;
  - (c) "Departmental Promotion Committee" means a Committee to consider promotion of officers in any grade constituted in accordance with Schedule- IV to these rules;
  - (d) "Departmental Confirmation Committee" means a Committee to consider confirmation of officers in Junior Time Scale grade constituted in accordance with Schedule- IV to these rules;
  - (e) "Duty Post" or "Post" means any post in a grade whether permanent or temporary, mentioned in Schedule-I to these rules;
  - (f) "Examination" means the Combined Competitive Engineering Services Examination conducted by the Commission for recruitment to the posts in this service;

- (g) "Government" means the Central Government;
- (h) "Grade" means a grade of the Service;
- (i) "Regular Service" in relation to any grade means the period or periods of service in that particular grade, rendered after selection and appointment thereto under the rules according to the procedure specified in Schedule-III for regular appointment to the grade under these rules and shall also include any period or periods-
- (1) taken into account for the purpose of seniority in the case of those appointed at the initial constitution of the Service under rule 5;
  - (2) during which an officer would have held a duty post in that grade, but for being on leave or otherwise, not being available for holding such post;
- (j) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
- (k) "Scheduled Caste" and "Scheduled Tribes" shall have the same meaning as assigned to them in clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution, and "Other Backward Classes" shall have the same meaning and applicability as laid down in Office Memorandum No. 36012/22/93-Estt (SCT), dated the 8<sup>th</sup> September, 1993 of the Department of Personnel and Training; and
- (l) "Service" means the Indian Radio Regulatory (Group 'A') Service constituted vide notification of the Government of India, Ministry of Communications and Information Technology, Department of Telecommunications, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 493(E), dated the 19<sup>th</sup> July, 2013 and shall have the constituents as under rule 3.

**3. Constituents of the Service and classification of the posts.**-(1) All the duty posts as specified in Schedule-I shall be constituents of the Indian Radio Regulatory (Group 'A') Service.

- (2) All posts included in the Service shall be classified as Group-A posts.

**4. Grades, authorised strength and its review.**- (1) (a) On the date of commencement of these rules, the duty posts in the various grades in the Service, their numbers and pay band, grade pay or pay scale shall be as specified in Schedule-I;

- (b) The duty posts included in a particular grade as specified in Schedule-I shall be interchangeable with one another in the particular grade.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Government may, -

(a) from time to time, by order, make temporary additions or alterations to the strength of the duty posts in various grades, for such period, as may be specified therein;

(b) in consultation with the Commission, include in the Service such posts as may be deemed to be equivalent in status, pay band and grade pay or pay scale to the posts included in Schedule-I or exclude from the Service a duty post included in the said Schedule;

(c) in consultation with the Commission, appoint an officer to a duty post included in the Service under clause (b), to the appropriate grade in a temporary capacity or in a substantive capacity, and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.

**5. Members of the Service.**- (1) The following shall be the members of the Service, namely:-

- (a) persons appointed to duty posts under rule 6; and

- (b) persons appointed to duty posts under rule 7;

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be a member of the Service in the appropriate grade applicable to him or her as specified in Schedule-I, from the date of initial constitution of the Service.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be a member of the Service in the appropriate grade applicable to him or her specified in Schedule-I, from the date of such appointment.

**6. Initial Constitution of the Service.**- (1) All officers, who immediately before the commencement of these rules holding Group 'A' duty posts in a grade on regular basis under the respective recruitment rules as referred to in the opening para of these rules, corresponding to the post specified in Schedule-I to these rules, shall be deemed to have been appointed to the said post in that grade on the date of commencement of these rules.

(2)(a) The regular continuous service of officers referred to in sub-rule (1) of the rule 5, prior to their appointment to the Service shall count for the purpose of period of probation, seniority, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the Service.

(b) The functional service rendered in Pay Band -3, Grade Pay of Rs. 7600/-, before making this grade as non-functional, vide notification of the Government of India, Ministry of Communications and Information Technology, Department of Telecommunications, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 494(E), dated 19<sup>th</sup> July, 2013, shall be considered for counting qualifying service for promotion.

(3) To the extent, the Central Government is not able to fill the authorised regular strength of various grades in the Service in accordance with the provisions of this rule, the same shall be filled in accordance with the provisions of rule 7 and rule 8.

**7. Future maintenance of the Service.**—(1) After the initial constitution of the Service under rule 6, any vacancy remaining unfilled at the initial constitution and vacancy arising after initial constitution in any of the grades specified in Schedule-I, it shall be filled in the manner hereinafter provided in this rule, namely:-

(a) fifty percent. of the vacancies in the Grade of Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment through the Combined Engineering Service Examination conducted by the Commission, on the basis of the educational qualifications and age limit specified in Schedule-II; and

(b) the remaining fifty percent. of the vacancies in the Junior Time Scale shall be filled by promotion of Group-B officers in the manner specified in Schedule-III.

(2) Appointment in the Grades specified at Serial Nos. 1 to 5 in Schedule-I, shall be made by promotion from amongst the officers in the next lower grade possessing minimum qualifying service and the manner as specified in Schedule-III.

(3) (a) Promotion to Engineer (Junior Time Scale) shall be made in consultation with the Commission;

(b) Promotion to Senior Time Scale and Senior Time Scale (Non-functional Selection Grade) shall be made in order of seniority subject to fitness.

(4) The selection of officer for promotion to various grades of the Service shall be made on the recommendation of the Departmental Promotion Committee as specified in Schedule-IV, by the method of selection except in the case of appointment of Assistant Wireless Adviser or Engineer-in-Charge to the post of the Deputy Wireless Adviser or Deputy Director [Senior Time Scale (Non-Functional Selection Grade)], which shall be by the method of non-selection;

(5) (a) where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their period of probation for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service;

(b) for the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the Service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

(c) for purposes of appointment on deputation or absorption basis, the Service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit shall extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation;

(6) Non Functional up-gradation.- (a) whenever any Indian Administrative Service officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying a specific grade pay in pay band 3 or pay band 4 or Higher Administrative Grade, the officers belonging to batches of the Service that are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade, shall be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service officers in that particular grade at the Centre;

(b) the batch, as referred to in clause (a), in respect of the direct recruit officers in the induction grade, shall be the year following the year in which the competitive examination was held and in subsequent grades the 'Batch' and eligible service in Group 'A' shall remain the same provided the officer is not superseded due to any reason. In case an officer is superseded, the officer shall be considered along with the 'Batch' with which his or her seniority is fixed;

(c) officers inducted into the Service by promotion from the post of Group 'B', shall also be eligible for the benefit of non-functional up-gradation. They shall be assigned the benefit of 'Batch' corresponding to the batch of the 'direct recruit' officers with whom their seniority is clubbed.

(d) grant of non-functional up-gradation referred to in clause (a) shall be,-

(i) in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government from time to time;

(ii) made on the recommendations of the Screening Committee as specified in Schedule -V.

**8. Filling of duty posts by deputation.-**Notwithstanding anything contained in rule 7, where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, fill-up duty post in any of the grades by deputation for a period not exceeding three years, which may, in special circumstances, be extended up to five years as the Central Government may think fit. The qualifications, experience and the qualifying service for appointment to any grade of the Service under this rule, shall be decided by the Central Government in consultation with the Commission on each occasion.

**9. Seniority.-** (1) The relative seniority of members of the Service, appointed to any Grade, at the time of initial constitution of the Service under rule 6, shall be decided according to their seniority obtaining on the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on such date, the same shall be determined by the Controlling Authority on the basis of rules governing the fixation of seniority as was applicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules.

(2) All officers included in the initial constitution of the Service in any Grade shall rank senior to all officers appointed to that grade subsequently.

(3) The seniority of persons appointed to the Service after the commencement of these rules shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government, from time to time.

(4) The seniority of an officer not covered by the preceding sub-rules shall be determined by the Controlling Authority in consultation with the Commission.

**10. Probation.-** (1) Every officer appointed either by direct recruitment or by promotion to the post of Junior Time Scale of the Service, shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the orders and instructions issued by the Central Government from time to time:

Provided further that any decision for extension of a period of probation shall be taken immediately after the expiry of initial period of probation and ordinarily within eight weeks and communicated in writing to the concerned officer together with reasons for doing so, within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officers, if considered fit for the permanent appointment, be confirmed in the Service in terms of the orders of the Government issued from time to time.

(3) If, during the period of probation, or any extension thereof, as the case may be, the Central Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, it may discharge the officer or revert him to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof, an officer may be required by Central Government to undergo such courses of training and instructions or to pass such examinations and tests as prescribed by the Central Government from time to time, as a condition for satisfactory completion of probation.

(5) As regards other matters relating to probation, if not covered by these rules, the members of the Service shall be governed by the order or instructions issued by the Central Government in this regard from time to time.

**11. Appointment to the Service.-** All appointments to the Service shall be made by the Controlling Authority for all the duty posts in various grades of the Service.

**12. Posting.-** Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

**13. Liability to serve Defence Services or a post connected with the Defence.-** (1) Any officer appointed to the Service, if so required, shall be liable to serve in any Defence Service or a post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training if any:

Provided that such officer -

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment to the Service or from the date of joining the Service;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid if the officer has attained the age of forty years.

(2) The conditions of service of the members of the Service in respect of the matters for which no specific provision has been made in these rules, shall be the same as are applicable from time to time, to Group 'A' officers of Central Civil Services.

**14. Disqualification.-** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operations of this rule.

**15. Power to relax.-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

### SCHEDULE-I

[See rule 2(g), 3, 4(1), 4(2), 5(2), 5(3), 6(1), 7(1) and 7(2)]

Name, Number and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale of Duty Posts in various Grades of Indian Radio Regulatory Group 'A' Service

| S. No. | Name of the posts  | Grade of the posts                               | No. of Duty posts * | Pay Band and Grade Pay or pay scale                     |
|--------|--|--|---------------------|---|
| 1      | Wireless Adviser   | Higher Administrative Grade                      | 1                   | Rs. 67,000 –annual increment @ 3%- Rs. 79,000           |
| 2      | Joint Wireless Adviser/<br>Director ( Wireless Monitoring )  | Senior Administrative Grade                      | 6                   | Pay Band-4<br>Rs. 37,400 -67000<br>Grade Pay-Rs. 10,000 |
| 3      | Senior Deputy Wireless Adviser/<br>Senior Deputy Director ( Wireless Monitoring )                  | Junior Administrative Grade<br>(Selection Grade) | 13                  | Pay Band-4<br>Rs. 37,400 -67000<br>Grade Pay-Rs. 8,700  |
| 4      | Deputy Wireless Adviser/<br>Deputy Director (Wireless Monitoring)<br>(Non-Functional Second Grade) | Non-Functional Selection Grade                   | 42 <sup>#</sup>     | Pay Band-3<br>Rs. 15,600-39,100<br>Grade Pay-Rs. 7,600  |
| 5      | Assistant Wireless Adviser/<br>Engineer-in-charge( Wireless Monitoring )                           | Senior Time Scale                                |                     | Pay Band-3<br>Rs. 15,600-39,100<br>Grade Pay-Rs. 6,600  |
|        | <b>No. of Senior Duty Posts</b>  |  | <b>62</b>           |   |
| 6      | Engineer, Wireless Planning and Co-ordination and Wireless Monitoring Organisation                 | Junior Time Scale                                | 72                  | Pay Band-3<br>Rs. 15,600-39,100<br>Grade Pay-Rs. 5,400  |
|        | <b>Total</b>   |  | <b>134</b>          |   |

\* Subject to variation dependent on workload.

# Out of 42 posts in Senior Time Scale and Senior Time Scale (Non-Functional Selection Grade), a maximum 30% of Senior Duty Posts (this is, 18 posts) shall be operated at Non Functional Second Grade (PB-3, GP-Rs. 7600).

### SCHEDULE-II

[See rule 7(1)]

#### Qualification and Age for Direct Recruitment

1. The minimum educational qualifications and age limit for direct recruitment to the posts in Group 'A' Junior Time Scale of the Indian Radio Regulatory (Group 'A') Service, on the basis of the Combined Competitive Engineering Services Examination conducted by the Commission shall be -

- (A) A candidate shall possess -
- Degree of a recognised University in Telecommunication Engineering or Electrical Engineering with Radio Communication or Electronics or Telecommunication as a special subject; or
  - Master's Degree in Science with Physics and Radio Communication or Electronics or Telecommunication as a special subject; or
  - M.Sc. degree or its equivalent with Wireless Communication, Electronics, Radio Physics or Radio Engineering as a subject; or

- (iv) Degree in Engineering from a University incorporated by an Act of Parliament or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956); or
- (v) passed Section A and B of the Institution Examinations of the Institutions of Engineers (India); or
- (vi) obtained a Degree or Diploma in Engineering from such foreign University or college or institution and under such conditions as may be recognised by the Government for the purpose from time to time; or
- (vii) passed Graduate Membership Examination of the Institute of Electronics and Telecommunication Engineers (India); or
- (viii) passed Associate Membership Examination Part II and III or Section A and B of the Aeronautical Society of India; or
- (ix) passed Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Radio Engineers, London held after November, 1959.

**Note.-** (1) In exceptional cases, the Commission may treat a candidate, not possessing any of the above qualifications, as educationally qualified provided that the Commission is satisfied that he has passed examinations conducted by other institutions the standard of which in the opinion of the Commission, justified his admission to the examination.

(2) A candidate who is otherwise qualified by virtue of his having taken a Degree from a foreign University which is not recognised by Government, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

(B) A candidate shall have attained the age of 21 years but shall not have attained the age of 30 years on the date as advertised by the Commission including any relaxation in the upper age limit as decided by Central Government from time to time.

### SCHEDULE-III

[See rule 2(h), 7(1) and 7(2)]

#### Appointment by Promotion

| Sl. No. | Name of post/ grade / pay scale   | Method of recruitment | Whether selection or non selection post | Feeder grade for promotion and eligibility conditions  |
|---------|---|-----------------------|---|--|
| (1)     | (2)   | (3)                   | (4)                                     | (5)  |
| 1       | Wireless Adviser (Higher Administrative Grade)<br><br>(Rs. 67,000 –annual increment @ 3%- Rs. 79,000)   | By promotion          | Selection                               | Promotion<br>Officers in the Senior Administrative Grade (PB-4 Grade Pay Rs. 10,000/-) with three years' regular service in the grade; or<br><br>Officers with 25 years' regular service in Group 'A' posts in the Service out of which at least one year regular service should be in PB-4, Grade Pay Rs. 10,000/- Senior Administrative Grade.   |
| 2       | Joint Wireless Adviser / Director (Wireless Monitoring) (Senior Administrative Grade) (Pay Band-4 Rs. 37,400 -67000 Grade Pay-Rs. 10,000)           | By promotion          | Selection                               | Promotion<br>Officers in the Junior Administrative Grade (Selection Grade) equivalent; (PB-4, Grade Pay Rs. 8,700/-) with three years' regular service in the grade; or<br>Officers with 17 years of regular service in Group A posts in the Service out of which at least one year of regular service should be in Junior Administrative Grade (Selection Grade) equivalent; (PB-4, Grade Pay Rs. 8,700/-). |
| 3       | Senior Deputy Wireless Adviser /Senior Deputy Director<br><br>[Junior Administrative Grade (Selection Grade)]<br><br>(Pay Band-4 Rs. 37,400 -67000) | By promotion          | Selection                               | Promotion<br>Officers with Thirteen years' of regular Group 'A' posts in the Service out of which at least four years' of regular service should be in Senior Time Scale (PB-3, Grade Pay Rs. 6600/-) including the regular service, if any rendered in the Non-Functional Selection Grade in the PB-3, Grade Pay Rs. 7600/- ; or  |

|   |  |   |                                     |  |
|---|--|---|-------------------------------------|--|
|   | Grade Pay-Rs. 8,700)   |   |                                     | Senior Time Scale (PB-3, Grade Pay Rs. 6600/-) officers with nine years' of regular service in the grade including the regular service, if any, rendered in the Non-Functional Selection Grade in the PB-3, Grade Pay Rs. 7600/-; and having educational qualification prescribed for direct recruitment at Junior Time Scale grade.   |
| 4 | Deputy Wireless Adviser /Deputy Director<br><br>Senior Time Scale (Non-Functional Selection Grade)<br><br>(Pay Band-3<br>Rs. 15,600-39,100<br>Grade Pay-Rs. 7,600) | --  | --                                  | Senior Time Scale officers (PB-3, Grade Pay Rs. 6600/-) having five years' regular service in the grade to be appointed on placement basis by seniority subject to rejection of the unsuitable.<br><br><b>Note.-</b> The Senior Time Scale officers with combined regular service of nine years in Senior Time Scale grade and Junior Time Scale grade out of which at least two years in Senior Time Scale grade shall also be eligible for consideration for promotion to the grade. This shall be applicable for five years from the date of commencement of these rules.   |
| 5 | Assistant Wireless Adviser / Engineer-in-charge<br><br>(Senior Time Scale)<br><br>(Pay Band-3<br>Rs. 15,600-39,100<br>Grade Pay-Rs. 6,600)                         | By promotion  | Selection                           | Promotion<br>Junior Time Scale officers with Four years' regular service in the grade and having the educational qualification prescribed for direct recruits at Junior Time Scale grade.<br><b>Note.-</b> The Junior Time Scale officers of the Service in the grade of Engineer holding the post on the date of notification of these rules and possessing any of the Education Qualifications as mentioned at A(i) to (ix) in Schedule-II – qualification and age for Direct recruitment, or Degree of a recognised University in Telecommunication Engineering or Electrical Engineering with Radio Communication or Electronics or Telecommunication as a special subject; or Master's Degree in Science with Physics and Radio Communication or Electronics or Telecommunication as a special subject. |
| 6 | Engineer (Junior Time Scale)<br>(Pay Band-3<br>Rs. 15,600-39,100<br>Grade Pay-Rs. 5,400)   | By direct recruitment (50% of the vacancies in the Grade)<br>By promotion (50% of the vacancies in the Grade) | Direct recruitment<br><br>Selection | Direct recruitment through Examination conducted by Commission.<br>Promotion<br>Junior Wireless Officer in Pay Band PB-2 and Grade Pay Rs. 4200/- having Eight years' of regular service in the grade.   |



**SCHEDULE-IV**

[See rule 2(c) and 7(4)]

**Composition of Group 'A' Departmental Promotional Committee for considering cases of promotion and confirmation in Group-A posts in the Service**

| Sl. No | Name of the Grade  | Departmental Promotion Committee for considering Promotion to the Grades   | Departmental Confirmation Committee  |
|--------|--|--|--|
| (1)    | (2)  | (3)  | (4)  |
| 1      | Wireless Adviser to the Government of India (Higher Administrative Grade)                                | 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission - <i>Chairperson</i><br>2. Secretary, Department of Telecom - <i>Member</i><br>3. Member (Technology), Telecom Commission - <i>Member</i>                                | Not applicable   |
| 2      | Joint Wireless Adviser or Director (Wireless Monitoring) (Senior Administrative Grade)                   | 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission - <i>Chairperson</i><br>2. Member (Technology), Telecom Commission or Additional Secretary, Department of Telecom - <i>Member</i><br>3. Wireless Adviser - <i>Member</i> | Not applicable   |
| 3      | Senior Deputy Wireless Adviser or Senior Deputy Director [Junior Administrative Grade (Selection Grade)] | 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission - <i>Chairperson</i><br>2. Member (Technology), Telecom Commission or Additional Secretary, Department of Telecom - <i>Member</i><br>3. Wireless Adviser - <i>Member</i> | Not applicable   |
| 4      | Deputy Wireless Adviser or Deputy Director; (Non-Functional Second Grade)                                | 1. Secretary, Department of Telecom - <i>Chairperson</i><br>2. Addl. Secretary, Department of Telecom - <i>Member</i><br>3. Wireless Adviser - <i>Member</i>   | Not applicable   |
| 5      | Assistant Wireless Adviser or Engineer-in-charge (Senior Time Scale)                                     | 1. Secretary, Department of Telecom - <i>Chairperson</i><br>2. Addl. Secretary, Department of Telecom - <i>Member</i><br>3. Wireless Adviser - <i>Member</i>   | Not applicable   |
| 6      | Engineer (Junior Time Scale)   | 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission - <i>Chairperson</i><br>2. Additional Secretary, Department of Telecom - <i>Member</i><br>3. Wireless Adviser - <i>Member</i>  | 1. Additional Secretary, Department of Telecom - <i>Chairperson</i><br>2. Wireless Adviser - <i>Member</i><br>3. Joint Wireless Adviser/Director (Wireless Monitoring) - <i>Member</i> |

**SCHEDULE-V**

[See rule 7(6)(d)(ii)]

**Composition of Screening Committee for considering cases of Non-Functional Up-gradation in the Service**

| Sl. No | Name of the Grade                         | Departmental Screening Committee for considering Non-Functional Up-gradation to the Grades   |
|--------|---|--|
| (1)    | (2)                                       | (3)  |
| 1      | Higher Administrative Grade (67000-79000) | 1. Secretary, Department of Telecom - <i>Chairperson</i><br>2. Member (Technology), Telecom Commission - <i>Member</i><br>3. Member (Services), Telecom Commission - <i>Member</i> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 2 | Senior Administrative Grade (PB-4, GP-10,000/-)<br><br>Junior Administrative Grade (Selection Grade) (PB-4, GP-8,700/-)<br><br>Non-Functional Selection Grade (PB-3, GP-7,600/-)<br><br>Senior Time Scale (PB-3, GP-6,600/-) | 1. Secretary, Department of Telecom - <i>Chairperson</i><br><br>2. Member (Technology), Telecom Commission or Additional Secretary, Department of Telecom - <i>Member</i><br><br>3. Wireless Adviser - <i>Member</i> |
|---|--|--|

[No. A-12018/1/2013-Admn.I/UPSC Ref. No. 3/21(A)/2014-RR Dated 3rd March, 2015]

SHASHI RANJAN KUMAR, Jt. Secy.